

17-7-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (मुप-2) विभाग

कामाक: एफ. 2(1)राप्र / 2 / 2012

जयपुर, दिनांक

—: आदेश:—

इस विभाग के रागराज्यक आदेश दिनांक 21.6.2012 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरिष्ठतानुसार उनके नाम के समुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतदद्वारा निरस्त किये जाते हैं:—

क्र.सं.	वरिष्ठता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	37 / 2011	श्रीमती शिल्पी कौशिक वरिष्ठ लेखाधिकारी निदेशालय विकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाये आई.ई.सी. जयपुर	॥/44, गांधीनगर	30.6.2031
2	14 / 2012	श्री सौ. एस. मेहता अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, जयपुर	504, पचम तल मॉडल टाउन गालवीयनगर	31.7.2014
3	15 / 2012	श्री सीताराम मीणा उप निदेशक, राज्यवीमा एवं प्राक्षायी निधि विभाग, साधारण निधि वित्त भवन, जयपुर	704, सप्तम तल मॉडल टाउन गालवीयनगर	28.2.2018

राज्यपाल की आज्ञा से

२०

(मनमूल वैराग्य)
शासन सहायक राजिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को रुपान्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- संग्रामीय आयुक्त, जयपुर।
- निला कलक्टर, जयपुर।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, भिन्नी साचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, विकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर।
- शासन द्वय सचिव, जीएफएलआर वित्त विभाग, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, रार्कजनिक निगम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक, राज्य वीमा एवं प्राक्षायी निधि विभाग (साधारण वीमा वित्त भवन) जयपुर।
- कोष कार्यालय, शासन सचिव, जयपुर शहर, जयपुर।
- संवंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविधि में कल्पा लेने में असफल रहने की विधि में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी आगले में लायें।
- अधिशासी अभियन्ता, रार्कजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर विभिन्न निगम लिंग गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकोम्, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम कराएं।
- राहायक अभियन्ता, रार्कजनिक निर्माण विभाग, वौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर, जयपुर को गेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर वस्ता करायें।
- श्रीमती शिल्पी कौशिक, वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशालय विकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाये आई.ई.सी., जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की विधि से नियम 11(III) ए के तहत छ: माह पश्चात् भूतल गांधीनगर, जयपुर हेतु विवारणीय होगा।
- श्री सीताराम मीणा, उप निदेशक, राज्यवीमा एवं प्राक्षायी निधि विभाग, साधारण निधि वित्त भवन, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त होने की विधि से नियम 11(III) ए के तहत छ: माह पश्चात् गांधीनगर, जयपुर हेतु विवारणीय होगा।
- निदेशक, ज्वान विभाग विभाग, जयपुर।
- संबंधित अधिकारीमाण।
- निजी राजिव, प्रमुख आमन सचिव, राज्यवीमा।
- शासन सहायक समिति, सामान्य प्रशासन (मुप-5) विभाग।
- निजी राजायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (मुप-2) विभाग।
- स्पष्टीत पत्राकारी।

(मनमूल वैराग्य)
शासन सहायक सचिव